न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :: 38/2019 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2019/00145 ::

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती प्यारीदेवी पत्नी खींवाराम जाति सीरवी निवासी धाकड़ी, तहसील सोजत, जिला पाली(राज.)		1. श्री भुण्डाराम पुत्र पन्नाराम जाति सीरवी
2. श्री खींवाराम पुत्र पन्नाराम जाति सीरवी, निवासी धाकड़ी, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)		2. श्रीमती जमनीबाई पत्नी पन्नाराम जाति सीरवी निवासीगण धाकड़ी, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
		3. ग्राम पंचायत धाकड़ी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धाकड़ी, तहसील सोजत जिला पाली (राज.)
		4. ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत धाकड़ी, तहसील सोजत जिला पाली (राज.)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थीगगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 18/12/2019

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 इस न्यायालय की निगरानी याचिका संख्या 87/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 के विरूद्ध पेश की। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जैर प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण की बइस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्री भुण्डाराम एवं श्रीमती जमनीबाई के द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत धाकडी की मिसल संख्या 49/2013–14, संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.02.2014 की पालना में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 05.05.2014 को निरस्त करवाने हेतु पेश की, जिस पर न्यायालय ने प्रकरण संख्या 87/2018 दर्ज कर नोटिस जारी किए, जो श्रीमती प्यारीदेवी व खींवाराम जो की निगरानी याचिका में अप्रार्थीगण थे के नाम जारी हुए तथा बिना प्रोपर तामील के ही, उक्त नोटिस को तामील मानते हुए न्यायालय ने दिनांक 12.02.2019 को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव उपस्थिति में तथा अप्रार्थीगण (हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण) को अनुपस्थित मानते हुए, उनके विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश पारित करते हुए बहस एकपक्षीय सुनी गई तथा निगरानी स्वीकार करते हुए उनके नाम जारी पट्टे को खारिज कर दिया। उक्त नोटिस रेखा नाम की महिला/बालिका से तामील किया गया, जिसे उनकी पुत्री बताया गया है। जबकि श्रीमती प्यारीदेवी व खींवाराम के रेखा नाम की कोई पुत्री है ही नहीं। प्रार्थीगण श्रीमती प्यारीदेवी व खींवाराम के कुल चार

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संतान है, उसमें से तीन पुत्र व एक पुत्री है। पुत्रों का नाम तरूण कुमार, रमेश कुमार व दिनेश कुमार है तथा एक पुत्री है जिसका नाम गीता कुमारी, जिसकी शादी हो चुकी है तथा वर्तमान में वह अपने ससुराल में निवास करती है तथा गीता के अलावा उसके कोई पुत्री नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी संख्या 2 ने एक शपथ पत्र भी पेश किया है, प्रार्थी ने अपने राशन कार्ड की प्रति भी पत्रावली संलग्न पेश की है, जिसमें भी प्रार्थीगण की एकमात्र पुत्री का नाम गीता कुमारी ही है तथा उक्त तथ्यों की ताईद ग्राम पंचायत धाकड़ी के सरपंच द्वारा न्यायालय में प्रेषित पत्र से भी होती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 87/2018 में अप्रार्थीगण श्रीमती प्यारीदेवी व खींवाराम की तामीली की गई है, वह प्रोपर तामील के रूप में नहीं माना जा सकता है, उक्त प्रकरण के संलग्न नोटिस पर मात्र यह अंकन किया गया है कि उनकी पुत्री ने प्राप्त किया, जो बालिग है या नहीं ? इसका अंकन नहीं है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश संख्या 5 नियम 15 में स्पष्ट अंकन है कि " तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवासी कर रहा है।" उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 87/2018 में श्रीमती प्यारीदेवी व खींवाराम को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया है। जो विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थीगण को उपरोक्त आदेश दिनांक 20.02.2019 की जानकारी दिनांक 29.07.2019 को ग्राम सेवक धाकड़ी द्वारा उनको बताया की उनके नाम जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 05.05.2014 न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली द्वारा खारिज किया जा चुका है, तब प्रार्थीगण ने अधिवक्ता से मिलकर उक्त आदेश व पत्रावली की नकले प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाया जावे तथा रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आदेश दिनांक 20.02.2019 को वापिस लिया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व इस न्यायालय की निगरानी याचिका संख्या 87/2018 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इस आशय से पेश किया कि उनके नाम जारी नोटिस प्रोपर तामील हुए बिना ही, निगरानी याचिका में निर्णय पारित कर दिया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के हक–अधिकारों का प्रश्न निहित होने से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। इस न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन निगरानी याचिका संख्या 87/2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती प्यारीदेवी व श्री खींवाराम के नाम जारी नोटिस रेखा से तामील करवाए गए है, जिसमें रेखा को उनकी पुत्री बताया गया है। लेकिन यह कहीं भी अंकन नहीं है कि रेखा वयस्क है या अवयस्क है, न ही उक्त पुत्री उनके साथ रहती है, ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया तथा न ही उक्त नोटिस तहसीलदार सोजत द्वारा न्यायालय में अग्रेषित किया गया है, मात्र सवार के हस्ताक्षर है। फिर भी उक्त नोटिस को तामील मान भी लिया जाए, तो भी प्रार्थीगण श्रीमती प्यारीदेवी व खींवाराम द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट किया है कि उनके कुल चार संतान है, उसमें से तीन पुत्र व एक पुत्री है। पुत्रों का नाम क्रमशः तरूण कुमार, रमेश कुमार व दिनेश कुमार है तथा एक पुत्री है जिसका नाम गीता कुमारी, जिसकी शादी हो चुकी है तथा वर्तमान में वह अपने ससुराल में निवास करती है तथा गीता के अलावा उसके कोई पुत्री नहीं है। इस तथ्य की ताईद में उन्होंने राशन कार्ड पेश किया है, इसी आशय का एक शपथ पत्र भी पेश किया है तथा इसी तथ्य की ताईद सरपंच, ग्राम पंचायत धाकड़ी के द्वारा प्रेषित पत्र से भी होती है कि प्रार्थीगण श्रीमती प्यारीदेवी व श्री खींवाराम के रेखा नाम की कोई पुत्री है ही नहीं, इससे

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्पष्ट है कि निगरानी याचिका 87/2018 में इनके नाम जारी नोटिस जो रेखा से तामील है, वह प्रोपर तामील नहीं है तथा न ही उक्त नोटिस सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 5 नियम 15 की पालना में तामील करवाया गया है, जिसमें स्पष्ट अंकन है कि " तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवासी कर रहा है।" प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी किसी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पंचायत निगरानी संख्या 87/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 को रिव्यू किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत स्वीकार किया जाकर पंचायत निगरानी संख्या 87/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 को Set aside किया जाता है। पत्रावली पुनः मूल नम्बर पर दर्ज रजिस्टर हो। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र फैसल में शुमार होकर मूल निगरानी संख्या 87/2018 के साथ नत्थी हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

निर्णय आज दिनांक 18/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली